न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प भोपाल

5 - - - - - - - -

प्रस्तुत दिनांक :-

R-952-PBR/14

(1) रामेश्वर प्रसाद आ० स्व० राधेलाल,
उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरी,
पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म०प्र०)

(2) मिश्रीलाल आ० स्व० राधेलाल, उम्र करीब 42 वर्ष,
निवासी ग्राम सेमरी, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म०प्र०)

(3) श्रीमती शांतिबाई पुत्री राधेलाल पत्नी भैयालाल यादव,
उम्र 54 वर्ष करीब, निवासी खनपुरा, पोस्ट सेमरी,
तहसील ~~सेमरी~~ रेहटी, जि० सीहोर (म०प्र०)

(4) सावित्रीबाई पुत्री राधेलाल, उम्र 32 वर्ष,
निवासी मार्फत रामेश्वरप्रसादयादव,
निवासी ग्राम सेमरी, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म०प्र०)

एम.डी.
श्री देव मुरारी अभिभाषक
द्वारा आज दिनांक
12-3-14 को भोपाल
कैम्प पर प्रस्तुत।
12-3-14

(5) श्रीमती गायत्रीबाई पुत्री राधेलाल पत्नी मदनलाल यादव,
निवासी ग्राम मरोड़ा, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म०प्र०)

....पुनरीक्षणकर्ता/
आवेदकगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आ० स्व० बल्लू (मृत) विधिक वारसान :-

(1) रामेश्वर प्रसाद वल्द स्व० राधेलाल, उम्र 50 वर्ष,
निवासी सेमरी, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म०प्र०)

19.3.17

(2) मिश्रीलाल आ० स्व० राधेलाल, उम्र 42 वर्ष,
निवासी सेमरी, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म०प्र०)

(3) शांतिबाई पत्नी भैयालाल यादव, उम्र 54 वर्ष,
निवासी खनपुरा, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म०प्र०)

(4) सावित्रीबाई पुत्री स्व0 राधेलाल, उम्र 32 वर्ष,
निवासी - भाई रामेश्वरप्रसाद यादव के पास,
सेमरी पोस्ट, सेमरी, तहसील रेहटी, जिला-सीहोर(म0प्र0)

(5) गायत्री बाई पत्नी मदनलाल यादव पुत्री स्व0 राधेलाल,
निवासी - ग्राम मरोड़ा, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद(म0प्र0)

2. चेतराम आ0 मुन्नी जाति कोरकू, निवासी -
ग्राम कोहदा, ब.नं. 48, प.ह.नं. 25, रा.नि.मं.
केसला, तहसील इटारसी, जि. होशंगाबाद(म.प्र.) ..उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 :-

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से सविनय पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :-

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती (पूनमप्रिया मिश्रा) इटारसी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 236/बी-121/12-13, जिसके पक्षकार रामेश्वर प्रसाद यादव -।- अन्य बनाम कन्हैयालाल वगैरह होकर रहे हैं, में दिनांक 04.02.2014 को पारित आदेश से दु:खित एवं क्षुब्ध होकर, माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों एवं मुद्दों के साथ यह पुनरीक्षण याचिका सम्यावधि में, विधि अनुसार प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 952–पीबीआर / 2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–4–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–2–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 113 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया गया है । यद्यपि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण अंतरिम आदेश हेतु नियत है, जिस पर आदेश किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है और अंतिम स्वरूप का आदेश अपीलनीय आदेश होकर निगरानी योग्य आदेश नहीं है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 113 में प्रावधानित किया गया है कि किसी भी समय लेखन संबंधी किसी भी गलती को, तथा किसी भी ऐसी ग़लती को , जिसके संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हो कि वे अधिकार अभिलेख में हुई है अनुविभागीय अधिकारी शुद्ध कर सकेंगे एवं शुद्ध करवा सकेंगे। वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा गलती होना अस्वीकार किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 113 की श्रेणी में नहीं होने से निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वद्वीप सिंह) अध्यक्ष	Noted 24/4/14